इससे पहलेःएम. आर. अग्निहोत्री और एन. के. सोधी।जे जे।

चरणजीत शर्मा,- **याचिकाकर्ता,**

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ - **उत्तरदाता।**

1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 237।

28फरवरी, 1992।

पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर, वॉल्यूम। द्वितीय. 1988–रजि. 19, पृष्ठ-14–अनुचित साधन मामला-छात्र को किसी भी मामले में उपस्थित होने से अयोग्य घोषित किया गया|1991में समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया गया-परीक्षा नवंबर/दिसंबर 1991 के लिए देय राज्य में प्रचलित विचित्र स्थिति के कारण स्थगित-अयोग्यता की अवधि के बाद 1992 में आयोजित परीक्षा-छात्र अयोग्यता की अवधि समाप्त होने के बाद आयोजित परीक्षा में बैठने का हकदार है।

(पैरा 4) एन. के. सोधी, जे.

माना गया कि केवल सेमेस्टर परीक्षा मूल रूप से नवंबर/दिसंबर, 1991 में आयोजित की जानी थी, अयोग्यता की अवधि समाप्त होने के बाद भी आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए अयोग्यता जारी रखने का कोई आधार नहीं है।यह सच है कि यदि परीक्षा नवंबर/दिसंबर, 1991 में आयोजित की गई होती, तो याचिकाकर्ता उसी में उपस्थित होने का हकदार नहीं होता, लेकिन चूंकि यह जनवरी, 1992 में आयोजित किया गया था, जब स्थायी समिति द्वारा तय की गई अयोग्यता की अवधि समाप्त हो गई थी और जैसा कि याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था, हमारे विचार में उसे परीक्षा में बैठने का अधिकार था।यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराया गया थाःविश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की किसी भी निर्दिष्ट संख्या/सेमेस्टर में उपस्थित होने से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका, प्रार्थना करती है किः–

(i) मामले के अभिलेख तलब किए जाएँ;

(ii) 9 जनवरी, 1992 से शुरू होने वाली बी. ई. केमिकल इंजीनियरिंग परीक्षा के पहले और दूसरे सेमेस्टर में उपस्थित होने के लिए याचिकाकर्ता को रोल नंबर जारीकरने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें।

(iii) याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस जारी करने से छूट दें;

(iv) रिट याचिका का खर्च भी याचिकाकर्ता को दिया जाए;

(v) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश भी जारी किया जा सकता है जैसा कि माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आई. पी. एस. कोहली।

एम. एम. कुमार, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से।

न्याय

एन. के. सोधी, जे.

1. याचिकाकर्ता जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (केमिकल इंजीनियरिंग) का छात्र है, पहले और दूसरे सेमेस्टर के लिए उपस्थित हुआ| परीक्षाएं क्रमशः फरवरी, 1989 और अगस्त/सितंबर, 1989 में आयोजित की गईं।परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद श्री अजय गुलाटी ने भी उन्हीं परीक्षाओं में भाग लिया और कुलपति से शिकायत की कि उनके पर्चे किसी अन्य उम्मीदवार के साथ बदले गए हैं और उन्हें गड़बड़ी का संदेह है।यह महसूस किया गया कि श्री अजय गुलाटी की शिकायत शायद उचित थी।इसके बाद कुलपति ने शिकायत पर गौर करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की।अभिलेखों की जांच और याचिकाकर्ता सहित सभी संबंधित लोगों की सुनवाई सहित एक विस्तृत जांच के बाद, जांच समिति ने पाया कि याचिकाकर्ता धोखाधड़ी द्वारा से श्री अजय और श्री अजय की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को बदलने का दोषी था।यह भी पाया गया कि याचिकाकर्ता ने उपस्थिति चार्ट में उत्तर पुस्तिकाओं के क्रम संख्या में बदलाव करके अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करके जालसाजी की।

2. जांच आयोग की सिफ़ारिशों के मद्देनज़र और उस पर कुलपति के आदेशों की समीक्षा में, याचिकाकर्ता पर पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड II (1988) के पृष्ठ 14 पर आने

वाले विनियमन 19 के तहत आरोप लगाया गया था और उसका मामला अनुचित साधनों के मामलों से निपटने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्थायी समिति को भेजा गया था।निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने और याचिकाकर्ता को पूरा अवसर देने के बाद, स्थायी समिति ने याचिकाकर्ता को दोषी पाया और उसे निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ तीन साल की अवधि के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया:–

> "पूर्ववर्ती जांच समिति के निष्कर्षों सहित मामले की परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, विनियमन 19 के तहत आरोप लगाने वाली स्थायी समिति ने चरणजीत सुमन के खिलाफ साबित किया कि उन्हें तीन साल की अवधि के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिसमें अगस्त/सितंबर, 1989 को आयोजित की गई दो परीक्षाओं में से एक भी शामिल है।"

पंजाब विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने तब याचिकाकर्ता को 5 अगस्त, 1991 के पत्र के अनुसार अपनी अयोग्यता के बारे में सूचित किया, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है।इसके अंतर्गत:–

> "उनके खिलाफ अनुचित साधनों के मामले का फैसला किया गया है और उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड के पृष्ठ 14 पर आने वाले विनियमन 19 के तहत तीन साल, यानी 1989,1990 और 1991 की अवधि के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।II, 1988।"

बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (केमिकल इंजीनियरिंग) के पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 9 जनवरी, 1992 से आयोजित होने वाली थीं।याचिकाकर्ता ने परीक्षा शुल्क जमा किया और उक्त परीक्षा में उपस्थित होने के लिए परीक्षा प्रपत्र भरा लेकिन उत्तरदाता-विश्वविद्यालय ने उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी।याचिकाकर्ता ने तब इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 8 जनवरी, 1992 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, हमने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन अस्थायी रूप से परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए।हमें सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता हमारे अंतरिम आदेश के अनुसरण में परीक्षा में उपस्थित हुआ है।

3. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का कारण यह था कि परीक्षा मूल रूप से नवंबर/दिसंबर, 1991 में किसी समय आयोजित की जानी थी, जिसके दौरान वह अयोग्य घोषित हो गए थे, लेकिन राज्य में प्रचलित विचित्र स्थिति और कुछ अन्य मजबूर करने वाली परिस्थितियों के कारण, इसमें देरी हुई और अब 9 जनवरी,

1992 से आयोजित होने वाली थी।विश्वविद्यालय ने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1989,1990 और 1991 के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था और 1992 में याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने में अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए पैरा 5 में निम्नलिखित रुख अपनाया गया हैः–

"कि रिट याचिका के पैरा 5 की सामग्री आत्यन्तिक रूप गलत है और इसका जोरदार खंडन किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 3 साल की अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है।बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम 4 साल का पाठ्यक्रम है जो 8 सेमेस्टर में विभाजित है।प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा वर्ष में दो बार नवंबर/दिसंबर और अप्रैल/मई के महीने में नियमित रूप से या ऐसी अन्य तिथियों पर आयोजित की जाती है जो सिंडिकेट द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।राज्य में व्याप्त विचित्र स्थिति और अन्य मजबूर करने वाली परिस्थितियों के कारण परीक्षा आयोजित करने में कुछ देरी हुई।पिछले सेमेस्टर के संबंध में नवंबर/दिसंबर में सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने के बजाय परीक्षा को जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया है।प्रतिवादी 9 जनवरी, 1992 से सेमेस्टर के संबंध में अपनी परीक्षा आयोजित कर रहा है जो दिसंबर, 1991 में समाप्त हो गया है और जिसके लिए परीक्षा दिसंबर, 1991 में आयोजित की जानी थी।याचिकाकर्ता केवल परीक्षा के संचालन में हुई देरी का लाभ उठाना चाहता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता उपस्थित होने का हकदार है|केवल अगले सेमेस्टर की परीक्षा में जो 3 साल की अवधि के रूप में अप्रैल/मई में आयोजित की जानी है, तब तक पूरी हो जाएगी।"

4. पार्टियों के वकील सुनने के बाद, हम विश्वविद्यालय की ओर से उठाए गए विवाद में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1989 में आयोजित परीक्षाओं सहित तीन साल की अवधि के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।तीन साल की यह अवधि 31 दिसंबर, 1991 को समाप्त हो गई और वर्ष 1992 में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता को इसमें उपस्थित होने से मना नहीं कर सकता है।केवल इसलिए कि सेमेस्टर परीक्षा मूल रूप से नवंबर/दिसंबर, 1991 में आयोजित होने वाली थी, अयोग्यता की अवधि समाप्त होने के बाद भी आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए अयोग्यता जारी रखने का कोई आधार नहीं है।यह सच है कि यदि परीक्षा नवंबर/दिसंबर, 1991 में आयोजित की गई होती, तो याचिकाकर्ता उसी में उपस्थित होने का हकदार नहीं होता, लेकिन चूंकि यह जनवरी, 1992 में आयोजित किया गया था, जब स्थायी समिति द्वारा तय की गई अयोग्यता की अवधि समाप्त

हो गई थी और जैसा कि याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था, हमारे विचार में उसे परीक्षा में बैठने का अधिकार था।यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के किसी भी निर्दिष्ट संख्या-सेमेस्टर में उपस्थित होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो।

5. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम प्रतिवादी को याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करने के निर्देश के साथ रिट याचिका की अनुमति देते हैं, जो इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत पहले ही परीक्षा दे चुके हैं।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

बहादुरगढ़,हरियाणा